कालीचरण एवं अन्य।
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य
(आपराधिक अपील संख्या 2021 का 122)
दिनांक 14 दिसंबर, 2022

[संजय किशन कौल एवं अभय एस. ओका, न्यायाधीशगण]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं– 122/2021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं0– 2181/2003 में दिनांक– 24.05.2019 द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध

अपीलार्थी की ओर से राकेश के. खन्ना, वरीय अधिवक्ता, सुश्री सेफाली जैन, सामंत सिंह, आदित्य पुष्कल खन्ना, सम्या खन्ना, सुश्री अर्चना मिधा, अली मुस्ताक निवाजीश, सुश्री प्रिजा नय्यर, गुरमीत सिंह, आदित्य कुमार अरचिया, राजेश प्रसाद सिंह

प्रतिवादी की ओर से बिन्दो दिवाकर, ए.ए.जी., सर्वेश सिंह वाघेल, प्रणव कुमार, बी.एन. दुबे, विशाल कुमार सिंह

न्यायालय का निर्णय अभय एस. ओका,न्यायाधीश द्वारा दिया गया ।

<u>तथ्यात्मक विवरण</u>

1. इस अपील में मुख्य रूप से दो मुद्दे उठते हैं. पहला मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ' सीआरपीसी ') की धारा 213 के अनुसार उचित आरोप तय करने में चूक के संबंध में है। दूसरा मुद्दा विद्वान विचारण न्यायधीश के द्वारा आवश्यक तथ्यों को धारा 313 सी0 आर 0 पी0 सी0 के अन्तर्गत अभियुक्त के समक्ष रखने में विफलता के संबंध में है । संक्षेप में, इस न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या सीआरपीसी की धारा 213 और 313 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता हुई है। यदि उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो अगला प्रश्न यह होगा कि क्या उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है और क्या इससे न्याय की विफलता हुई है।

2. वर्तमान अपील बुलन्दशहर के फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी बंगाली को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (संक्षेप में, ' आईपीसी '), आईपीसी की धारा 302 के साथ–साथ आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जो अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है । फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कालीचरण

(अभियुक्त संख्या 1), याद प्रकाश (अभियुक्त संख्या 2), दीवान सिंह (अभियुक्त संख्या 3) और श्रीमती शंकुतला देवी (अभियुक्त संख्या 4) को आईपीसी की धारा 148 , आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 और आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया । याद प्रकाश (अभियुक्त नंबर 2) को शस्त्र अधिनियम , 1959 की धारा 25 के तहत भी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग–अलग अपील दायर की गईं। एक अपील अभियुक्त बंगाली द्वारा की गई थी और दूसरी अपील अभियुक्त क्रमांक 1 से 4 द्वारा की गई थी। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलें खारिज कर दी गईं।

3. अभियुक्त बंगाली ने आक्षेपित निर्णय को चुनौती नहीं दी। अभियुक्त क्रमांक 1 से 4 तक ने इस अपील को प्रस्तुत किया है। हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि अपीलकर्ता नंबर 3 दीवान सिंह (अभियुक्त नंबर 3) ने वर्तमान अपील में एक दलील दी है कि कथित अपराध की तारीख पर, वह विधि का उलंघन करने वाला बालक था । तदनुसार, 8 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उक्त याचिका की जांच करने का निर्देश दिया। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि अपराध के घटित होने की तिथि पर, अपीलकर्ता संख्या 3 दीवान सिंह (अभियुक्त संख्या 3) विधि का उलंघन करने वाला बालक था । इसलिए, 1 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 3 की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया और उस सीमा तक वर्तमान अपील की अनुमति दी गई।

4. हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि एक ही घटना के लिए, दो अलग–अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थीं। पहली एफआईआर आईपीसी के सभी अपराधों के लिए सभी पांच आरोपियों के खिलाफ थी और दूसरी एफआईआर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता नंबर 2 (आरोपी नंबर 2) के खिलाफ थी।

5. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 6 दिसंबर 2000 को दोपहर लगभग 1.30 बजे, सूचक अतर सिंह (पीडब्लू–1) अपनी बैलगाड़ी से एक गली को समतल करने के लिए मिट्टी ले जा रहा था। जब वह शंकर के घर के पास पहुंचा, तो आरोपी नंबर 1 कालीचरण और उसके बेटे, याद प्रकाश (अभियुक्त नंबर 2), और दीवान सिंह (आरोपी नंबर 3) ने पीडब्लू–1 का विरोध किया और उसे अपनी बैलगाड़ी वापस करने के लिए मजबूर किया। आरोपी नंबर 1 से 3 और पीडब्लू–1 के बीच झगड़ा हुआ। उक्त तीनों आरोपी वापस अपने घर गये और हथियार लेकर आये, आरोप है कि आरोपी बंगाली छुरा (रेजर) लेकर आया था। आरोपी नंबर 1 के पास लाठी थी. अभियुक्त क्रमांक 2 याद प्रकाश के पास 315 बोर की देशी पिस्तौल थी। आरोपी नंबर 3 दीवान सिंह और आरोपी नंबर 4 शकुंतला देवी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए थे। आरोपी नंबर 4 शकुंतला देवी आरोपी नंबर 1 की

पत्नी, और आरोपी नंबर 2 और 3 की मां है। एफआईआर में आरोप यह है कि आरोपी नंबर 2 ने अपनी देशी पिस्तौल से चार से पांच गोलियां चलाईं जो मृतक हरपाल सिंह को लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के परिणामस्वरूप, संघर्ष शुरू हो गया और आरोपी बंगाली जो उस्तरा से लैस था, ने पीडब्लू–1 की बहन रानी पर हमला किया, जिसने बंगाली की चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मलखान सिंह, राम औतार, श्रीमती सरोज, श्रीमती रजनी और श्रीमती रानी देवी मृतक रानी को बचाने आयी. हालाँकि, उक्त व्यक्तियों पर आरोपी क्रमांक 1,3 और 4 ने अपने हाथों में हथियार लेकर हमला किया। उक्त तीन आरोपियों के हाथों इन लोगों को चोटें आईं। आरोपी सं. 2 व 4 को भी मारपीट में चोटें आयीं. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि एफआईआर में यह मामला बनाया गया था कि मृतक हरपाल सिंह की मौत आरोपी नंबर 2 याद प्रकाश द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई थी, लेकिन सबूतों में, अभियोजन पक्ष के गवाह और विशेष रूप से पीडब्लू–1, गवाही दी गई कि आरोपी नंबर 2 द्वारा गोली चलाने के कारण मचे हड़कंप के कारण हरपाल सिंह गिर गया और बाद में अन्य आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। बरामदगी के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से पीडब्लू–1 अतर सिंह और पीडब्लू–2 मलखान सिंह के चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया, जो कथित तौर पर अभियुक्तों के हाथों घायल हो गए थे।

<u>प्रविष्टियाँ</u>

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश खन्ना ने शुरू में बताया कि पांच आरोपियों में से एक दीवान सिंह को इस अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है और इसलिए, केवल चार आरोपी घटना में शामिल थे। इसलिए, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए गैरकानूनी जमावड़े के आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पांच या अधिक व्यक्तियों की कोई जमावड़ा नहीं थी। इसलिए, उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 148 और 149 लागू नहीं की जा सकतीं। उन्होंने हमारा ध्यान अभियुक्तों के विरुद्ध तय किये गये चौथे आरोप की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोप में आरोप है कि आरोपी नंबर 2 याद प्रकाश ने देशी रिवॉल्वर से गोली चलाई और हरपाल सिंह को लगी गोली से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि आरोपियों ने हरपाल सिंह के गिरने के बाद अपने हाथों में हथियार का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों से देखा जा सकता है, यह माना गया है कि हरपाल सिंह को आग्नेयास्त्र से कोई चोट नहीं लगी, बल्कि आरोपी नंबर 1,2 और 4 द्वारा उनके हाथों में हथियारों से किए गए हमले के कारण उन्हें चोटें आईं। उन्होंने कहा कि उचित आरोप तय नहीं होने के कारण आरोपियों को गुमराह किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 ने बताया कि हरपाल सिंह आरोपी नंबर 2 द्वारा इस्तेमाल किए गए बन्दूक से लगी गोली का शिकार नहीं है, धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करते समय, आरोपी को दी गई एकमात्र परिस्थिति यह है कि

हरपाल सिंह की मौत आरोपी नंबर 2 याद प्रकाश द्वारा चलाई गई चार से पांच गोलियों के कारण हुई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अपने हाथों में मौजूद हथियारों से हरपाल सिंह पर हमला किया, जिससे अंततः हरपाल सिंह की मौत हो गई, आरोपी व्यक्तियों को यह नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि उचित आरोप तय करने में विफलता और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में आरोपियों के सामने भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफलता के कारण आरोपियों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं संख्या 1,2 और 4 की दोषसिद्धि निष्प्रभावी है और वे दोषमुक्त किए जाने के योग्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ताओं द्वारा आत्मसमर्पण से छूट के लिए किए गए आवेदनों को इस न्यायालय ने 29 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। हिरासत प्रमाण पत्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता संख्या 1,2 और 4, 19 अगस्त 2019 से हिरासत में हैं।

7. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के वकील ने अभियोजन पक्ष के दो चश्मदीद गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह की थी कि हरपाल सिंह की मृत्यु अपीलकर्ता संख्या 1,2 और 4 द्वारा उनके हाथों में हथियार हमले के कारण हुई थी। इसलिए, उचित आरोप तय करने में न्यायालय की विफलता के कारण उन पर कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को अभियोजन मामले के बारे में पता था जैसा कि पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 के साक्ष्यों में परिलक्षित होता है और इसलिए, धारा 313 के तहत उनके बयान में परिस्थिति को सामने रखने में विद्वान विचारण न्यायधीश की विफलता बिल्कुल भी घातक नहीं है । . उन्होंने कहा कि दोनों अदालतों ने पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 की गवाही पर विश्वास किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक हरपाल सिंह के शरीर पर चोटें और पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 सहित घायल व्यक्तियों पर पाई गई चोटें अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप थीं। इसलिए, वह प्रस्तुत करते है कि इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं।

<u>तर्क पर विचार</u>

आईपीसी की धारा 148 और 149 की प्रयोज्यता

8. हमने प्रस्तुतिकरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जैसा कि पहले बताया गया है, वर्तमान अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इन सभी को धारा 149 की सहायता से धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था । धारा 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित करने के लिए शर्त यह है कि गैरकानूनी सभा होनी चाहिए जैसा कि आईपीसी की धारा 141 में प्रावधान है। आईपीसी की धारा 141 "गैरकानूनी सभा" को परिभाषित

करती है जिसका अर्थ है पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा। इस मामले में चार अपीलकर्ताओं और आरोपी बंगाली को आरोप पत्र में नामित किया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता नंबर 3 – आरोपी नंबर 3 दीवान सिंह को इस अदालत ने 1 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा उसके खिलाफ दोषसिद्धि को रद्द करके दोषमुक्त कर दिया था। इसलिए, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि क्या कोई गैरकानूनी सभा थी, अपीलकर्ता संख्या 3 दीवान सिंह को विचार से बाहर रखना होगा। फिर चार ही आरोपी बचे. इसलिए, आईपीसी की धारा 148 और 149 के तहत आरोप बरकरार नहीं रखा जा सकता।

उचित आरोप तय करने में चूक का प्रभाव और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में अभियुक्तों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियाँ डालने में चूक का प्रभाव

9. अब, हम आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोप की ओर मुड़ते हैं। मृतक हरपाल सिंह के संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए तय किए गए एकमात्र आरोप तीसरे और चौथे आरोप थे। उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए उक्त दो आरोपों का आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

> "तीसरा: उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान पर, **आप अभियुक्त याद प्रकाश ने शिकायतकर्ता अतर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों पर जान से मारने की नियत से अपने हाथ में मौजूद देशी पिस्तौल से 45–5 गोलियाँ चलाईं जो शिकायतकर्ता के चचेरे भाई जिसका नाम हरपाल सिंह को लगी।** इस प्रकार अभियुक्त यादराम ने हरपाल सिंह की हत्या की। इस प्रकार, आपने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।
>
> चौथा : उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर, **आप अभियुक्तों में से अभियुक्त याद प्रकाश ने अपने सामान्य उद्देश्य के लिए हरपाल सिंह पर देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी और हरपाल सिंह की मौके पर ही हत्या कर दी थी जो कि है आईपीसी की धारा 302/149** के तहत दंडनीय अपराध है और यह न्यायालय के संज्ञान में है।"

(महत्व जोड़ा)

10. इस प्रकार, दोनों आरोपों में आरोप है कि अपीलकर्ता नंबर 2 याद प्रकाश (अभियुक्त नंबर 2) ने अपनी देशी पिस्तौल से 4–5 गोलियां चलाईं जो हरपाल सिंह को लगीं और इसलिए, हरपाल सिंह को आरोपी नंबर 2 द्वारा मार दिया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा यह तीसरा आरोप तय किया गया है। चौथा आरोप फिर से इस आरोप के आधार पर था कि आरोपी नंबर 2 की देशी पिस्तौल से चली गोलियों से लगी चोट ही हरपाल सिंह की मौत का

कारण बनी। चौथा आरोप बताता है कि अन्य आरोपियों को केवल आईपीसी की धारा 149 की सहायता से फंसाया गया था।

11. एफआईआर पीडब्लू–1 अतर सिंह द्वारा की गई एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे एक पुलिस कांस्टेबल मुरारी लाल ने लिखित रूप में दर्ज किया था। उक्त लिखित रिपोर्ट में आरोपों के भौतिक भाग का आधिकारिक अनुवाद इस प्रकार है:

> "...इसके बाद, आरोपी अपने घर चले गए और फिर कालीचरण लाठी से लैस, उसके बेटे याद प्रकाश देशी पिस्तौल (315), बंगाली छूरा (रेजर) से लैस और दीवान सिंह चाकू से लैस और कालीचरण की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी कुल्हाड़ी से लैस होकर सामान्य उद्देश्य लेकर मौके पर आई। शोर मचाने पर हरपाल पुत्र श्रीराम, स्व. रानी देवी पुत्री महीपाल, मलखान सिंह, राम औतार पुत्र महीलाल, श्रीमती सरोज पत्नी धवल सिंह, श्रीमती रजनी पत्नी वेद प्रकाश, श्रीमती रानी देवी पत्नी अतर सिंह, श्रीराम पुत्र मेवाराम, वेद प्रकाश पुत्र महीपाल, सतपाल पुत्र छीतर सिंह और अमर सिंह पुत्र श्रीराम हमारे परिवार के वहां पहुंचे। इस पर आरोपी कालीचरण ने चिल्लाते हुए कहा, 'देखते क्या हो सालो को जान से मार डालो।' **इस पर आरोपी यदप्रकाश ने जान से मारने की नियत से अपने देशी कट्टे से हम पर 4–5 फायर किये, जो मेरे चचेरे भाई हरपाल सिंह को लग गये। इससे हरपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई..."**
>
> (महत्व जोड़ा)

12. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा केवल दो चश्मदीद गवाहों, अर्थात्, पीडब्लू–1 अत्तर सिंह, मुखबिर और पीडब्लू–2 मलखान सिंह से पूछताछ की गई थी। पीडब्लू–1 ने अदालत के समक्ष अपने बयान में अपना लिखित बयान साबित किया जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके मुख्य परीक्षा के प्रमुख भाग का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

> "कालीचरण के हाथ में लाठी थी, याद प्रकाश के हाथ में देशी पिस्तौल थी, बंगाली के हाथ में छुरा था। दीवान सिंह के पास चाकू और शकुंतला देवी के पास कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वे पहुंचे, कालीचरण ने उन्हें गोली चलाने के लिए उकसाया। इस पर आरोपी याद प्रकाश ने 4–5 फायर किए और फायर की आवाज सुनकर मेरे परिवार के सदस्य मलखान सिंह, रामअवतार, सरोज, रजनी, मेरी बहन रानी देवी और मेरी पत्नी रानी, हरपाल सिंह और अन्य लोग आ गए। आग लगने से भगदड़ मच गई तो हरपाल सिंह गिर गया और उपरोक्त आरोपियों ने अपने–अपने हथियारों से हरपाल पर हमला कर दिया, जिससे हरपाल की मौके पर ही मौत हो गई.'

13. जिरह में, पीडब्लू–1 ने कहा कि जैसे ही आरोपी नंबर 2 ने 4–5 गोलियां चलाईं, भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि हरपाल गिर गया लेकिन उसे पता नहीं कि गोली लगी या नहीं। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि आरोपी नंबर 2 द्वारा चलाई गई गोलियों से हरपाल सिंह को चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

14. पीडब्लू–2 मलखान सिंह एकमात्र अन्य प्रत्यक्षदर्शी है। वह अपने मुख्य परीक्षा में भी यही संस्करण लेकर आये। उन्होंने जिरह में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हरपाल सिंह गोली लगने से गिरे थे या नहीं.

15. हमने ऊपर तीसरा आरोप उद्धृत किया है जो एफआईआर में आरोप पर आधारित है कि हरपाल सिंह को आरोपी नंबर 2 द्वारा चलाई गई गोलियों के कारण चोटें आईं और गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कोई आरोप तय नहीं किया गया है कि हरपाल सिंह की मौत आरोपी संख्या 1,2 और 4 (वर्तमान अपीलकर्ता) द्वारा किए गए हमले के कारण हुई। जैसा कि दोनों अदालतों ने नोट किया, पीडब्लू 3 डॉ. आरके दवारे, जिन्होंने मृतक हरपाल सिंह के शरीर का पोस्टमार्टम किया, ने कहा कि उन्हें चाकू और चुरा जैसे तेज धार वाले हथियारों से चोटें लगी थीं। न तो उन्होंने यह बताया कि गोली लगने की चोटें थीं और न ही पोस्टमार्टम नोट्स में ऐसी चोटें दर्ज की गईं।

16. सीआरपीसी के अध्याय XVII में आरोप तय करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं । उक्त प्रावधानों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त को उसके खिलाफ लगे आरोपों से अवगत कराना है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसे दोषी ठहराना चाहता है। आरोप तय करने से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि आरोपी प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने की स्थिति में हो। एक अभियुक्त अपना बचाव ठीक से कर सकता है, बशर्ते वास्तविक सुनवाई शुरू होने से पहले उसे अपने खिलाफ आरोपों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए। इसीलिए सीआरपीसी में इस संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं। धारा 212 का उप–धारा (1) हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

> "**212. समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विवरण**—(1) आरोप में कथित अपराध के समय और स्थान, और वह व्यक्ति (यदि कोई हो) जिसके विरुद्ध, या चीज़ (यदि कोई हो) के संबंध में ऐसे विवरण शामिल होंगे जो, यह प्रतिबद्ध था, आरोपी को उस मामले की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

इस मामले के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है वह धारा 213 है जो इस प्रकार है:

"**213. जब अपराध करने का तरीका बताया जाना चाहिए**—जब मामले की प्रकृति ऐसी हो कि धारा 211 और 212 में उल्लिखित विवरण आरोपी को उस मामले की पर्याप्त सूचना नहीं देते जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, आरोप में ऐसे विवरण भी शामिल होंगे जिस तरीके से कथित अपराध किया गया था वह उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा।"

17. अपराध करने के तरीके का विवरण देने पर जोर दिया गया है। जब तक दंड विधान की विशिष्ट धाराओं के साथ–साथ कथित अपराध के करने के समय और स्थान जैसे विवरण को आरोप में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक अभियुक्त अपना बचाव ठीक से करने की स्थिति में नहीं होगा। यहां तक कि कई मामलों में ये विवरण भी आरोपी को अपना बचाव ठीक से करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए धारा 213 में एक विशिष्ट आवश्यकता शामिल की गई है कि यदि धारा 211 और 212 में उल्लिखित विवरण आरोपी को उस मामले की पर्याप्त सूचना नहीं देते हैं जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, तो आरोप में उस तरीके के ऐसे विवरण भी शामिल होंगे। कथित अपराध किया गया था क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। धारा 213 के उदाहरण (ई) में यह प्रावधान है कि जब आरोप में यह आरोप शामिल है कि 'ए' पर एक निश्चित समय और स्थान पर 'बी' की हत्या का आरोप है, तो आरोप में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 'ए' ने 'बी' की हत्या कैसे की। '. इस मामले में तय किए गए आरोप के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि यह आरोपी नंबर 2 था जिसने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाकर मृतक हरपाल सिंह की हत्या कर दी थी। यद्यपि अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि साक्ष्यों से देखा जा सकता है, यह है कि अभियुक्त संख्या 1, 3 और 4 ने अपने हाथ में धारदार हथियारों का उपयोग करके हरपाल सिंह की हत्या की, अभियुक्त संख्या 1, 3 और के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। 4 पर आरोप लगाया कि उन्होंने हरपाल सिंह की हत्या की है। चूंकि हरपाल सिंह की हत्या करने के लिए आरोपी संख्या 1,3 और 4 के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है, इसलिए उदाहरण (ई) लागू नहीं होगा। इसलिए, आरोपी संख्या 1,3 और 4. द्वारा हत्या के अपराध को करने के तरीके को बताते हुए धारा 213 के संदर्भ में आरोप तय करना आवश्यक था ।

18. सीआरपीसी में दो प्रावधान हैं जो आरोप तय करने में त्रुटियों या चूक से निपटते हैं। उक्त प्रावधान धारा 215 और 464 हैं जो इस प्रकार हैं:

"**215. त्रुटियों का प्रभाव**– अपराध या आरोप में बताए जाने वाले आवश्यक विवरण बताने में कोई त्रुटि नहीं, और अपराध या उन विवरणों को बताने में कोई चूक मामले के किसी भी चरण में तब तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, जब तक कि आरोपी न हो। वास्तव में ऐसी त्रुटि या चूक से गुमराह किया गया है, और इससे न्याय की विफलता हुई है।"

464. आरोप तय करने में चूक का प्रभाव, या अनुपस्थिति, या त्रुटि, – (1) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप तय नहीं किया गया था या आरोप में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता का आधार, जिसमें आरोपों का कोई गलत संयोजन भी शामिल है, जब तक कि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय की विफलता उत्पन्न न हुई हो।

(2) यदि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वास्तव में न्याय की विफलता हुई है, तो वह–

(ए) आरोप तय करने में चूक के मामले में, आदेश दिया जाएगा कि आरोप तय किया जाए, और आरोप तय होने के तुरंत बाद मुकदमे की सिफारिश की जाए;

(बी) आरोप में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में, जिस भी तरीके से वह उचित समझे, उस आरोप पर एक नया मुकदमा चलाने का निर्देश दे सकता है: बशर्ते कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य सही हैं जैसे कि साबित किए गए तथ्यों के संबंध में आरोपी के खिलाफ कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, यह दोषसिद्धि को रद्द कर देगा।"

19. धारा 215 बताती है कि आरोप में बताए जाने वाले विवरणों में त्रुटियों को कब महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि त्रुटि को तब तक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि आरोपी को ऐसी त्रुटि या चूक से गुमराह नहीं किया गया हो और ऐसी त्रुटि या चूक के कारण न्याय की विफलता हुई हो। धारा 464 सक्षम न्यायालय के निष्कर्ष और सजा पर आरोप तय करते समय की गई त्रुटि या चूक के प्रभाव से संबंधित है। धारा में प्रावधान है कि न्यायालय का निष्कर्ष और सजा केवल आरोप तय करने में त्रुटि या आरोप तय करने में चूक के आधार पर अमान्य नहीं हो सकती। निष्कर्ष और सजा तभी अमान्य होगी यदि अपील न्यायालय की राय में, त्रुटि या चूक से न्याय में विफलता हुई हो।

20. जब अपील न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है कि क्या आरोप तय करने में चूक या आरोप में त्रुटि के कारण न्याय में कोई विफलता हुई है, तो न्यायालय सभी प्रदर्शित दस्तावेजों सहित मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड की जांच करने, धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान की जांच करने के लिए बाध्य है।

21. इस स्तर पर, हमें सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहिए । सीआरपीसी की धारा 313 इस प्रकार है:–

"**313. अभियुक्त की जांच करने की शक्ति**—(1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, **अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में व्यक्तिगत रूप से सक्षम करने के उद्देश्य से,**न्यायालय–

(ए) किसी भी स्तर पर, बिना पूर्व चेतावनी के अभियुक्त उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जैसा न्यायालय आवश्यक समझे;

(बी) अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच हो जाने के बाद और अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, आम तौर पर मामले पर उससे पूछताछ करेगा:

बशर्ते कि किसी समन–मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है, वह खंड (बी) के तहत उसकी परीक्षा से भी छूट दे सकता है।

(2) जब उप–धारा (1) के तहत आरोपी की जांच की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके, या उनके गलत उत्तर देकर स्वयं को दंड का भागी नहीं बनाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या परीक्षण में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध की किसी अन्य जांच, या परीक्षण में उसके लिए या उसके खिलाफ साक्ष्य में रखा जा सकता है, जो ऐसे उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है। प्रतिबद्ध।

[(5) न्यायालय अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक और बचाव वकील की मदद ले सकता है और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।"

आरोपियों के अलग–अलग बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज 1 से 4 लगभग समान हैं। प्रश्न संख्या 5 ही उनसे हरपाल सिंह की हत्या के आरोप में उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के बारे में पूछा गया एकमात्र प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 आरोपी क्रमांक 3 से इस प्रकार पूछा गया:–

"प्रश्न 5 – अभियोजन साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि **आरोपी कालीचरण के उकसाने पर आरोपी याद प्रकाश ने जान से मारने की नियत से अपनी देशी पिस्तौल से शिकायतकर्ता अतर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों पर 4–5 गोलियां चलाईं, जो शिकायतकर्ता के चचेरे भाई हरपाल सिंह को लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।"**इस संबंध में आपका क्या कहना है? "

(महत्व जोड़ा)

22. न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य में ऐसा कोई मामला बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों (पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2) द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री इस आशय की है कि हरपाल सिंह की मृत्यु आरोपी नंबर 1,3 और 4 द्वारा हथियार, तेजधार शस्त्र द्वारा उस पर किए गए हमले के परिणामस्वरूप लगी चोटों के कारण हुई। । अभियुक्तों के विरुद्ध रिकॉर्ड में लाई गई ये भौतिक परिस्थितियाँ, जिन पर उनकी दोषसिद्धि आधारित है, अभियुक्तों के सामने कभी नहीं रखी गईं। अभियुक्त के सामने जो कुछ रखा गया था, वह अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में नहीं बनाया गया था। धारा 313 के बयान में हरपाल सिंह के शव के पोस्टमार्टम के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया है . यह गवाह के सामने नहीं रखा गया कि हरपाल सिंह की मृत्यु का कारण रक्तस्राव और धारदार हथियारों से लगी चोटों के कारण सदमा था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी से पूछताछ करना कोई कोरी औपचारिकता नहीं है। सीआरपीसी की धारा 313 की आवश्यकता यह है कि आरोपी को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि आरोपी स्पष्टीकरण दे सके। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी से पूछताछ के बाद , वह बचाव पक्ष के गवाहों की जांच करने और अन्य सबूत पेश करने के सवाल पर निर्णय लेने का हकदार है। यदि अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया गया है, जिस पर उसकी दोषसिद्धि को आधारित करने की मांग की गई है, तो अभियुक्त उसके विरुद्ध रिकॉर्ड पर लाई गई उक्त परिस्थितियों को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं होगा। वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाएगा. **जय देव बनाम पंजाब राज्य**के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 21 में , यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: –

> **"21.** अपने इस तर्क के समर्थन में कि अपीलकर्ता हरि सिंह के खिलाफ प्रासंगिक बिंदु रखने में विफलता उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष को प्रभावित करेगी, श्री एंथोनी ने *हेट सिंहभगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य* में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है [1951 एससीसी 1060 : एआईआर 1953 एससी 468]। उस मामले में, इस न्यायालय ने निस्संदेह इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभियुक्त के सामने प्रत्येक भौतिक तथ्य रखना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाना है और यदि वह कर सकता है तो उसे समझाने का मौका देना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन टिप्पणियों को उस मामले में इस न्यायालय द्वारा पहुंचे अन्य निष्कर्ष के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि यह सुझाव देना गलत होगा कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक सामान्य और कठोर नियम बनाना है कि जहां भी यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बिंदुओं में से एक भी उसके सामने नहीं रखा गया है, तो या तो मुकदमा खराब हो जाएगा, या उसका सजा ख़राब हो गया है।**धारा 342 के तहत आरोपी व्यक्ति से पूछताछ का उद्देश्य निस्संदेह उसे अपने खिलाफ साक्ष्य में सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने का अवसर देना है। धारा 342 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय,**

अदालत को साक्ष्य में दिखाई देने वाली सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को आरोपी व्यक्ति के सामने रखने का ध्यान रखना चाहिए। अभियुक्त से कुछ सामान्य और व्यापक प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का रास्ता अपनाने से अभियुक्त को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को समझाने का अवसर नहीं मिल सकता है। दूसरी ओर, यह उचित या सही नहीं होगा कि अदालत आरोपी व्यक्ति से विस्तृत प्रश्न पूछे जो उसके प्रति–विरोधी हो सकते हैं। **यह निर्धारित करने में अंतिम परीक्षण कि धारा 342 के तहत अभियुक्त से निष्पक्ष रूप से पूछताछ की गई है या नहीं, यह पूछताछ करना होगा कि क्या, उससे पूछे गए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, उसे अभियोजन मामले के संबंध में वह कहने का अवसर मिला जो वह कहना चाहता था। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति की जांच दोषपूर्ण थी और इस प्रकार उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, तो यह निस्संदेह एक गंभीर कमजोरी होगी।** यह स्पष्ट है कि धारा 342 के तहत आरोपी व्यक्ति की जांच किस तरीके से की जानी चाहिए, इसके संबंध में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है । मोटे तौर पर कहा गया है, हालांकि, सच्ची स्थिति यह प्रतीत होती है कि संक्षिप्तता के लिए जुनून जो कुछ सर्वव्यापी सामान्य प्रश्न पूछने से संतुष्ट हो सकता है, धारा 342 की आवश्यकताओं के साथ उतना ही असंगत है जितना कि संपूर्णता के लिए चिंता जो अनावश्यक रूप से विस्तृत और बड़े को निर्धारित कर सकती है और कई प्रश्न जो आरोपी व्यक्ति से जिरह के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, दूरी के विशिष्ट बिंदु को निर्धारित करने में विफलता वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

(महत्व जोड़ा)

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [ii]के मामले में इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय के पैराग्राफ 145 में , यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

"145. हमारे लिए इस बिंदु पर प्राधिकारों को गुणा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रश्न अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से समाप्त हो गया है। **मामले के इस दृष्टिकोण में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत जिन परिस्थितियों को अपीलकर्ता के सामने नहीं रखा गया, उन्हें पूरी तरह से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।**

(महत्व जोड़ा)

23. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, इतना ही नहीं इस आरोप पर भी आरोप तय नहीं किया गया कि हरपाल सिंह की मौत आरोपियों और विशेष रूप से आरोपी नंबरों 1, 2 और 4 द्वारा किए गए धारदार हथियारों के इस्तेमाल से शारीरिक हमले के कारण हुई थी। यह भ्रामक आरोप लगाया गया कि हरपाल सिंह की मौत गोलियों के

कारण हुई, जो आरोपी नंबर 2 द्वारा हाथ में पिस्तौल से चलाई गई गोलियों से लगी थीं। इस तरह के आरोप तय होने से आरोपी के गुमराह होने और सही आरोप तय न होने की पूरी संभावना रहती है। अधिक गंभीर बात यह है कि हालांकि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हरपाल सिंह की मृत्यु किसी भी गोली लगने के कारण नहीं हुई थी, धारा 313 के तहत सभी अभियुक्तों पर लगाई गई परिस्थिति यह थी कि हरपाल सिंह की मृत्यु आरोपी नंबर 2 द्वारा देशी पिस्तौल से चार से पांच गोलियां चलाने के कारण हुई । दरअसल, धारा 313 के तहत आरोपी के बयान में प्रश्न संख्या 5 में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि आरोपी नंबर 2 द्वारा चलाई गई गोलियां हरपाल सिंह को लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि मौखिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की जांच से पता चलता है, हरपाल सिंह को कोई गोली नहीं लगी थी। फिर भी उक्त आरोप सभी आरोपियों पर धारा 313 के तहत परीक्षण में लगा दिया गया । इस प्रकार, न केवल यह कि लगाया गया आरोप भ्रामक था, बल्कि साक्ष्य में अभियुक्तों के खिलाफ रिकॉर्ड पर लाई गई अधिकांश भौतिक परिस्थितियाँ कि हरपाल सिंह की मृत्यु अभियुक्त संख्या 1,3 और 4 द्वारा किए गए हमले के कारण लगी चोटों के कारण हुई थी, उनमें से कोई भी नहीं रखा गया था। इस प्रकार, न केवल यह आरोप भ्रामक था बल्कि अभियुक्त के पास उस परिस्थिति को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं था जिसमें हरपाल सिंह की कथित तौर पर हत्या की गई थी, जिसे मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर लाया गया था। इसलिए, मामले के तथ्यों में, सीआरपीसी की धारा 213 के संदर्भ में उचित आरोप तय करने में चूक के कारण, और धारा 313 के तहत बयान में साक्ष्य में आने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों को नहीं डालने के कारण अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मामले के तथ्यों में पूर्वाग्रह ने न्याय की विफलता को जन्म दिया है।

24. इसलिए, हमने विचार किया कि क्या मामले को उचित आरोप तय करने और धारा 313 के तहत आरोपी के अतिरिक्त बयान दर्ज करने के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है । लेकिन घटना दिसंबर 2000 की है। इसलिए, यह अभियुक्तों के साथ अन्याय होगा यदि उन्हें 22 साल से अधिक समय पहले हुई घटना के बारे में साक्ष्य में उनके खिलाफ आने वाली परिस्थितियों का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। वास्तव में, इस तरह के कदम से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

25. इन परिस्थितियों में अभियुक्तगणों 1,2 एवं 4 के विरूद्ध हरपाल सिंह की हत्या करने का आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकती। आरोपी सं. 1,2 और 4 को धारा 149 की सहायता से आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था । हालाँकि, इस मामले में धारा 149 लागू नहीं होगी। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि आरोपी नं. 1,2 और 4, 19 अगस्त 2019 से जेल में थे। इसलिए, ये सभी तीन साल और चार महीने से अधिक की सजा काट चुके थे। अभियुक्त संख्या 2 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे वह पहले ही भुगत चुका है।

26. अभियुक्त बंगाली ने कोई अपील नहीं की है। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि आरोपी बंगाली को आईपीसी की धारा 149 की सहायता के बिना रानी की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।

27. इसलिए, अपील सफल होनी चाहिए। हम सत्र न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं, जिस हद तक आरोपी नंबर 1 कालीचरण, आरोपी नंबर 2 याद प्रकाश और आरोपी नंबर 4, श्रीमती शकुंतला देवी को दोषी ठहराया गया। उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि उन्हें किसी अन्य अपराध के सिलसिले में हिरासत में लेने की आवश्यकता न हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आरोपी नंबर 3 दीवान सिंह को 1 जुलाई 2021 के आदेश के तहत पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है।

28. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत

Satya Prakash Sinha

i (1963) 3 SCR489

ii (1984) 4 SCC 116